न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 74 / 2022 अपील (GCMS 2022/85)
पंजीयन दिनांक– 17.08.2022
निर्णय दिनांक– 28.03.2023

1. श्रीमति मणि पटेल उर्फ मणि देवी पिता स्व. श्री मगनलाल पटेल पत्नि डॉ. श्री कुरालाल डांगी, निवासी झूंथरी, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर हाल निवासी 3 / 363 राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, गोवर्धन विलास, उदयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती कुरी देवी पत्नि कुराजी पटेल, निवासी बायड़ी, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेरवाडा, जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1.	श्री महेश भट्ट	अधिवक्ता अपीलांट
2.	श्री लोकेश मेनारिया	अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1
3.	श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक	अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 2

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध तहसीलदार, खेरवाडा, जिला उदयपुर के प्रकरण संख्या
01 / 2022 निर्णय दिनांक 14.06.2022

निर्णय

दिनांक 28.03.2023

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, खेरवाडा, जिला उदयपुर के प्रकरण संख्या 01 / 2022 निर्णय दिनांक 14.06.2022 के विरूद्ध दिनांक 25.07.2022 को इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीया श्रीमती मणि पटेल पुत्री स्व. मगनलाल पटेल, निवासी झूंथरी, तहसील खेरवाडा द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय वसीयतनामा के प्रस्तुत कर मुताबिक वसीयतनामा नामांतरकरण दर्ज करने का निवेदन किया गया। उक्त वसीयतनामा श्री मगनलाल पिता अमराजी पटेल, निवासी झूंथरी, तहसील खेरवाडा द्वारा दिनांक 09.11.2009 को अपनी पत्नि श्रीमती नानी एवं पुत्री श्रीमति मणि कुमारी पत्नि कुरालाल डांगी के नाम संयुक्त रूप से निष्पादित किया गया है। प्रार्थीया द्वारा वसीयतनामा के साथ स्व. नानी देवी (माता) पुत्र एवं स्व. मगनलाल पटेल (पिता) के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रस्तुत की गई तद्नुसार माता नानी देवी की मृत्यु दिनांक 16.11.2021 को हो गई है। मुताबिक दस्तावेज वसीयतकर्ता स्व. श्री मगनलाल पटेल, निवासी झूंथरी के नाम ग्राम खेतियाला, पटवार मण्डल जवास के खाता संख्या 214, 241, 178, 172, 149 एवं ग्राम झूंथरी के खाता संख्या 436, 437, 271, 443, 313, 273, 442 एवं 251 में हिस्से से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जो संपूर्ण रूप से पैतृक संपत्ति है। दिनांक 11.12.2021 को श्रीमती कुरीदेवी पत्नि कुराजी पटेल, निवासी बायडी, तहसील खेरवाडा द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि वह स्व. मगनलाल पटेल की पहली पत्नि श्रीमती चम्पादेवी की पुत्री है इस लिहाज से मेरे पिता की बडी पुत्री हूं एवं श्रीमती मणिदेवी पत्नि के. एल. डांगी मेरी छोटी बहन है बताते हुए अपने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि में अनपढ़ हूं खेती–बाड़ी से अपना गुजारा चलाती हूं और मेरी छोटी बहन मणिदेवी पढ़ी लिखि है एवं नौकरी करते हुए उदयपुर में निवास करती है। मेरी छोटी बहन द्वारा मेरे पिता को डरा धमका कर चालाकी से अपने पक्ष में वसीयत करवा ली है यही बताते हुए अपने स्व. पिता श्री मगनलाल पटेल की संपूर्ण संपत्ति कृषि भूमि में प्रार्थीया के नाम नियमानुसार नामांतरकरण दर्ज

कराने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 01/2022 निर्णय दिनांक 14.06.2022 से प्रकरण में न्यायालय से आदेश प्राप्त होने तक कार्यवाही स्थगित किये जाने बाबत् निर्णय पारित करने से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 14.06.2022 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः— *"इस प्रकार प्रकरण में उत्तराधिकारी का विवाद उत्पन्न होने से वसीयतनामा अनुसार नामांतरकरण दर्ज करने से पूर्व उत्तरााधिकार का निर्धारण आवश्यक माना गया है। चूंकि वसीयतनामा में अंकितानुसार समस्त कृषि भूमि विरासत से मिलना राजस्व रेकार्ड में दर्शित होता है। संपत्ति दो तरह की होती है। एक वो होती है जो स्वयं कमाई जाती है। अर्थात स्वअर्जित होती है एवं दुसरी वो जो विरासत में मिलती है उसे ही पैतृक संपत्ति कहा जाता है। पैतृक संपत्ति पर समस्त उत्तराधिकारियों का समान रूप से हक रहता है। यदि इस प्रकरण में उत्तराधिकार का निर्धारण किये बिना ही वसीयतनामा अनुसार नामांतरकरण दर्ज किया जाता है तो प्रार्थीया कुरीदेवी के साथ न्याय नही होगा। अतः प्रकरण उत्तराधिकार का आवश्यक निर्धारण माना जाता है। चूंकि उत्तराधिकार का निर्धारण करना माननीय सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निहित होने से प्रार्थीया श्रीमति मणिदेवी एवं कुरीदेवी का हिदायत दी जाती है कि वे सक्षम न्यायालय से पारित उत्तराधिकार संबंधी आदेश/निर्णय प्रस्तुत करें। पत्रावली में न्यायालय से आदेश प्राप्त होने तक कार्यवाही स्थगित की जाती है।"*

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री महेश भट्ट उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश मेनारिया

उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 27.03.2023 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय नियम, विधि तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के पूर्णतः विपरीत है। रेस्पोडेंट संख्या 1 का अपीलांट के पिता से कोई नाता रिश्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के सामने एक तरफ मगनलाल के नाम की खातेदारी राजस्व अभिलेख, अपीलांट के स्कूल के दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजो से अपीलांट के पिता का नाम मगनलाल दर्ज है। पंजीकृत वसीयतनामा में मगनलाल ने अपीलांट को अपनी पुत्री संबोधित किया है। ऐसे अकाट्य प्रलेख पेश करके अपीलांट ने अपने आपको मगनलाल की एकमात्र पुत्री होना साबित किया है। इसके विपरीत रेस्पोडेंट संख्या 1 ने ऐसा एक भी दस्तावेजी प्रमाण पेश नही किया जिसके आधार पर मगनलाल का प्रथम विवाह उसकी माता चम्पादेवी से होना, मगनलाल ओर तथाकथित चम्पा के नुत्फे से रेस्पोडेंट संख्या 1 पैदा होना, मगनलाल की दो पुत्रियां होना और रेस्पोडेंट संख्या 1 मगनलाल की पुत्री होना साबित होता हो। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, खेरवाडा, जिला उदयपुर द्वारा दिनांक 14.06.2022 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, खेरवाडा,

जिला उदयपुर द्वारा दिनांक 14.06.2022 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.06.2022 की अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 25.07.2022 को पेशी की है, जो अंदर मयाद है।

- अब हम अपील में गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से प्रकरण में यह सुस्पष्ट है दिनांक 30.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीया श्रीमती मणि पटेल पुत्री स्व. मगनलाल पटेल, निवासी झूंथरी, तहसील खेरवाडा द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय वसीयतनामा के प्रस्तुत कर मुताबिक वसीयतनामा नामांतरकरण दर्ज करने का निवेदन किया गया। उक्त वसीयतनामा श्री मगनलाल पिता अमराजी पटेल, निवासी झूंथरी, तहसील खेरवाडा द्वारा दिनांक 09.11.2009 को अपनी पत्नि श्रीमती नानी एवं पुत्री श्रीमति मणि कुमारी पत्नि कुरालाल डांगी के नाम संयुक्त रूप से निष्पादित किया गया है। प्रार्थीया द्वारा वसीयतनामा के साथ स्व. नानी देवी (माता) पुत्र एवं स्व. मगनलाल पटेल (पिता) के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रस्तुत की गई तद्नुसार माता नानी देवी की मृत्यु दिनांक 16.11.2021 को हो गई है। मुताबिक दस्तावेज वसीयतकर्ता स्व. श्री मगनलाल पटेल, निवासी झूंथरी के नाम ग्राम खेतियाला, पटवार मण्डल जवास के खाता संख्या 214, 241, 178, 172, 149 एवं ग्राम झूंथरी के खाता संख्या 436, 437, 271, 443, 313, 273, 442 एवं 251 में हिस्से से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जो संपूर्ण रूप से पैतृक संपत्ति है। इसी प्रकार दिनांक 11.12.2021 को श्रीमती कुरीदेवी पत्नि कुराजी पटेल, निवासी बायडी, तहसील खेरवाडा द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि वह स्व. मगनलाल पटेल की पहली पत्नि श्रीमती चम्पादेवी की पुत्री है इस लिहाज से मेरे पिता की बडी पुत्री हूं एवं श्रीमती मणिदेवी पत्नि के. एल.

डांगी मेरी छोटी बहन है, बताते हुए अपने स्व. पिता मगनलाल पटेल की संपूर्ण संपत्ति कृषि भूमि का प्रार्थीया के नाम नियमानुसार नामांतरकरण दर्ज कराने का निवेदन किया।

- प्रकरण में अभिलेख से स्पष्ट है कि दोनो ही प्रार्थना पत्रों की संबंधित पटवार हल्का जवास से जांच करवाई गई। पटवारी हल्का द्वारा बाद जांच रिपोर्ट एवं मौका पर्चा प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम के उपस्थित मौतबिरानों द्वारा प्रार्थीया कुरीदेवी को ग्राम झूंथरी में स्व. मगनलाल पटेल की पुत्र के रूप में नही देखा गया है एवं न ही ग्राम झूंथरी में कुरी देवी का विवाह हुआ है इस प्रकार चूंकि मामलों में स्व. श्री मगनलाल पटेल के उत्तराधिकारियों में विवाद सामने आने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जांच करने के क्रम में ग्राम झूंथरी के मौतबिरानों एवं वसीयतकर्ता के निकटतम रिश्तेदारों को जरिये नोटिस तलब किया गया जिसमें श्री रामलाल पिता नानजी पटेल, निवासी झूंथरी, श्री हीरालाल पिता अमराजी, निवासी थाणा, श्री हकरा पिता थावरा पटेल, निवासी सुवेरी, श्री धुलाराम पिता थवराजी पटेल, निवासी खैरवाडा, श्री मंगलाराम पिता रामजी पटेल, निवासी झूंथरी, श्री कचरूलाल पिता रामाजी, निवासी झूंथरी द्वारा संयुक्त रूप से अपने बयान दर्ज करा बताया कि श्रीमती कुरीदेवी पत्नि कुराजी पटेल, निवासी बायड़ी को स्व. मगनलाल पटेल की पुत्री होना बताया/इसके अतिरिक्त श्री पदमलाल पिता मोगा पटेल, निवासी झूंथरी एवं श्री बद्रीलाल पिता रामाजी पटेल, निवासी झूंथरी द्वारा स्वयं को स्व. मगनलाल को निकटतम रिश्तेदार बताते हुए बताया कि स्व. मगनलाल पटेल की दो पत्नियां थी। बडी पत्नि चम्पादेवी एवं छोटी पत्नि नानीदेवी थी। प्रार्थीया कुरीदेवी बडी पत्नि चम्पादेवी की पुत्री है एवं मणिदेवी छोटी पत्नि नानीदेवी की पुत्री है, दोनो पुत्रीयों का हिस्सा बराबर होना चाहिए।

- प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट, मौका पर्चा, मौतबिरानों तथा निकटतम रिश्तेदारों के बायानों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्ररकण संख्या 01/2022 निर्णय दिनांक 14.06.2022 से प्रकरण में सिविल न्यायालय से आदेश प्राप्त होने तक कार्यवाही स्थगित रखने जाने का निर्णय पारित किया है वह प्रथमदृष्टया विधिक रूप त्रुटिपुर्ण प्रतीत होता है।

- अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, अतएवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान को विधिवत् सुनवाई का अवसर देकर वसीयत/उत्तराधिकारियों की जांच कर नियमानुसार नामांतरकरण की कार्यवाही कर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.05.2023 को उपस्थित रहे।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर